भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ / Integrated Regional Office, Chandigarh

सत्यमेव जयते

मिसिल संख्या -: 9-PBB380/2017-CHA
दिनांक 25-06-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ ।
(fcf@punjab.gov.in)

विषयः- **Diversion of 4.35 ha of forest land in favour of Executive Engineer Construction Division No. 1, PWD B&R Branch Jalandhar for widening and strengthening of Jalandhar-Jandiala-Nurmahal road-Talwan road KM 5.21-34.57=29.36 KM including construction of high level bridge on white bein in KM 13 under Forest Division and District Jalandhar, Punjab. (Proposal No. FP/PB/ROAD/23167/2016)**

संदर्भ (i) पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/102/2017/938 दिनांक 26.05.2017
(ii) अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार के पत्र संख्या FOREST-FCA0FC5J/36/2020-FCA दिनांक 16.06.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **14.08.2017 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी के पत्र संख्या FOREST-FCA0FC5J/36/2020-FCA दिनांक 16.06.2021 (E-mail) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **4.35** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है-:

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेगें और काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 566 से अधिक नहीं होगी |
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Nawanshahr Branch RD 45-75 B/side, Tehsil Phillaur and District Jalandhar, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **44,27,848/-** रूपये **(Rupees forty four lakh twenty seven thousand eight hundred & forty eight only)** की राशि से **8.7** हैक्टेयर वन क्षेत्र में पौधें लगाकर किया जायेगा|
iv. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
v. **The Divisional Forest Officer shall ENSURE that the approved CA site(s) will not be changed without the approval of competent authority.**
vi. **The CEO, State CAMPA Authority shall ENSURE that the funds under State CAMPA will be released to Divisional Forest Officer as per approved CA scheme.**
vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
viii. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
ix. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xi. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xii. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा |

xiii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी |

xv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xix. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

25/06/2021

(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली | (adgfc-mef@nic.in)

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब| (pccfpunjab @gmail.com)

3. CEO CAMPA, O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Forest Department, ForestComplex, Sector-68, S.A.S. Nagar, Punjab (ceo.puncampa@gmail.com)

4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला जालंधर, पंजाब| (dfojalandhar@gmail.com)

5. Executive Engineer, Construction Division No. 1 PWD B&R, Jalandhr (balvir0786@gmail.com)